तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय, इनिशियलराजज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की ता... जारी हुए
02-02-2021	पत्रावली पेश हुवी। प्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता एंव राज पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत की और से रिर्पोट पेश हुई। जो शामिल मिसल रहे। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही मोजा शीशा, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर के खसरा नं. 52 तादादी 5.0600 हैक्टर है जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/6 अविभाजित हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम गोरधनराम नाम का अंकन है के स्थान पर प्रार्थी का नाम धन्नाराम पुत्र नारायणराम का अंकन किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एंव सम्बन्धित कृषि भूमि का रिकॉर्ड तथा उनके आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व बैंक डायरी के दस्तावेजो का आवलोकन किया जिनमें प्रार्थी का नाम धन्नाराम पुत्र नारायणराम अंकित है। इसलिए प्रार्थी के नाम उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में शुद्धिकरण किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी एंव तद्आधारित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का 'नाम गोरधनराम के स्थान पर धन्नाराम पुत्र नारायणराम का नाम शुद्धिकरण करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक २.२.२०२१ को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर	

Scanned with CamScanner